10रु. Rs.10 कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
20रु. Rs.20 कोर्ट फीस COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3555

1. रमेश तिवारी पुत्र बसंत तिवारी
2. छन्नू तिवारी पुत्र बसंत तिवारी
   दोनों निवासीगण ग्राम अंधियारीवारी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर

...... आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती प्रभादेवी पत्नी रामलखन तिवारी
2. कामता पुत्र रमेश तिवारी

   निवासीगण ग्राम अंधियारीवारी तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्र.कं. 63/बी–121/16–17 में पारित आदेश दिनांक 8.9.17 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगंण का निम्नानुसार निवेदन है कि :–

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आराजी नं. 129 रकवा 0.061 है. भूमि ग्राम अंधियारीबारी में स्थित होकर उक्त भूमि पर आवेदकगण का मकान बना है जिसमें कुछ हिस्से पर वह अपने परिवार सहित निवास करता है एवं कुछ हिस्से में जानवर बांधता है खेती कृषि के उपकरण रखता है । चारा, भूसा भी रखा जाता है।

3– यह कि, ओवदकगण का वाद भूमि पर पूर्व में गांव के एक अनय व्यक्ति रामआसरे से मकान के संबंध में विवाद हुआ था। इस कारण उसने अवैध रूप

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3555 रमेश विरूद्ध प्रभादेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 63/बी-121/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 08-09-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 27-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य